



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13112020-223062
CG-DL-E-13112020-223062

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3578]
No. 3578]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 12, 2020/कार्तिक 21, 1942
NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 12, 2020/KARTIKA 21, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2020

का.आ. 4075(अ).—केंद्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम) 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3883(अ) तारीख 21/10/2019, जो भारत के राजपत्र तारीख 30/10/2019, में प्रकाशित की गई थी, उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पश्चिम बंगाल राज्य में पारादीप हल्दिया दुर्गापुर एल.पी.जी. पाइपलाइन का संवर्धन तथा पटना और मुजफ्फरपुर तक इसका विस्तार परियोजना के लिए इंडियन आयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी।

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 17/01/2020 से 25/01/2020 तक उपलब्ध करा दी गई थी, और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केंद्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है,

और केंद्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है।

अतः अब, केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

और केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केंद्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगी।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बंधित किसी भी मामले पर केंद्रीय सरकार के विरुद्ध कोई दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची					
पुलिस स्टेशन: सुताहाटा -1		जिला : पूर्व मेदीनिपुर	राज्य : पश्चिम बंगाल		
क्रम सं.	मौज़ा का नाम	प्लॉट सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
1	डीह शिवरामनगर-95	801	00	12	50
		837	00	14	01
		836	00	01	89
		876	00	05	38
		877	00	02	20
		874	00	07	88
		873	00	03	62
		870	00	04	15
		871	00	09	96
		630	00	06	78
		627	00	01	07
		626	00	07	00
		625	00	05	10
		624	00	01	31
		592	00	09	19
		591	00	11	31
		568	00	00	73
		569	00	01	95
		571	00	00	44
		570	00	02	11
		564	00	03	07
		563	00	03	70
		542	00	01	44
		541	00	02	30

डीह शिवरामनगर-95	540	00	04	63
	472	00	07	32
	471	00	05	29
470(कच्चा रास्ता)		00	00	38
	468	00	03	17
467(नाला)		00	02	42
	416	00	03	53
	415	00	10	23

[फा. सं. आर-11025(11)/246/2017-ओआर-आई-17777]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th November, 2020

S.O. 4075(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No.3883(E) dated the 21st October, 2019, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Gazette of India dated the 30th October, 2019, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the Purpose of laying pipeline for “**Augmentation of Paradip - Haldia- Durgapur LPG Pipeline Project & its extension upto Patna & Muzaffarpur**” by Indian Oil Corporation Limited.

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up from 17.01.2020 to 25.01.2020.

And whereas the competent authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government.

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Indian Oil Corporation Limited, free from all encumbrances.

Indian Oil Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P & MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE					
Tahsil:- Sutahata-I		District:- Purba Medinapur		State :- West Bengal	
Sl. No.	Name of the Village	Plot No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
1	Dih Shibramnagar-95	801	00	12	50
		837	00	14	01
		836	00	01	89
		876	00	05	38
		877	00	02	20

Dih Shibramnagar-95	874	00	07	88
	873	00	03	62
	870	00	04	15
	871	00	09	96
	630	00	06	78
	627	00	01	07
	626	00	07	00
	625	00	05	10
	624	00	01	31
	592	00	09	19
	591	00	11	31
	568	00	00	73
	569	00	01	95
	571	00	00	44
	570	00	02	11
	564	00	03	07
	563	00	03	70
	542	00	01	44
	541	00	02	30
	540	00	04	63
	472	00	07	32
Dih Shibramnagar-95	471	00	05	29
	470(Cart track)	00	00	38
	468	00	03	17
	467(Nala)	00	02	42
	416	00	03	53
	415	00	10	23

[F. No. R-11025(11)/246/2017-OR-I/E-17777]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.